

समय दिया जाता है।

उपखण्ड अदालत
भिनाय (अजमेर)

सिलेक्ट लोक अदालत अभियान
व्याय आर-2018
दिनांक 8/1/18

withdrawn
8/1/18

8/1/18
पत्रावली पेशद्वारा प्राप्ति उपर प्राप्ति अखिलता उपर प्राप्ति
ने मूल वाद पर वस्तु कार्यवाही होय प्राप्ति पत्र प्रस्तुत
कर कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त दिए जाने का निर्देश दिया।
जिसमें सीडार दिया जाकर पत्रावली पर कार्यवाही समाप्त दिए
जाने के अतिरिक्त पत्रावली पर कार्यवाही समाप्त दिए
जाये और कार्यवाही अपेक्षित न रह जाने से पत्रावली प्रेषण मुक्त
हो। नेबर से उक्त हेडर शामिल इफ्तार है।

महश्वर प्रसाद
सदस्य

लोक अदालत
उपखण्ड-भिनाय

अध्यक्ष
लोक अदालत
उपखण्ड-भिनाय

सदस्य
लोक अदालत
उपखण्ड-भिनाय

